भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1329

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समझौता

1329. श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच 09 दिसम्बर, 2021 को हुए समझौते के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसानों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या सरकार का किसानों से सी-2+50 प्रतिशत फार्मूले के आधार पर सभी उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने, किसानों को ऋण माफी और 300 यूनिट बिजली उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कुछ किसान यूनियनों की मांगों के आधार पर, सरकार ने 1 दिसंबर, 2021 को "कृषि कानून निरसन अधिनियम, 2021" के तहत तीन कृषि कानूनों, "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020", "कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020" और "आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020" को निरस्त कर दिया था।

(ख) से (ड.): हां, सरकार ने, दिनांक 18-07-2022 की अधिसूचना के तहत एक समिति का गठन किया है जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आदि शामिल हैं। इस समिति को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न को बदलने के लिए सुझाव देना है। समिति इन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा सिफारिशें विकसित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती रही है। इसके अलावा, सरकार हर वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर देश के लिए अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

*****